

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

रमान बनाम रामचंद्र

दिनांक :- 28/05/2024

नं. १८

विशेष विवरण

क आदेश या कार्यवाही

आदेश विस्तृत रूप में

17/04/2025 परावली पं. १३३/ उभयपक्ष अधिवक्ता
 उपस्थित। परावली वाले इंद्रवती
 उपस्थिति अग्रिमोड से गारिमान 1000
 रु. का यूपीए अर्थात् 03982 व 15108 का
 दि. 08/05/2025 अ. 1/24/

Ran
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेर, जिला- जयपुर

दि. 08/05/2025 को अर्ज के अन्त
 र्गत कथ में उक्त अर्ज के अन्तर्गत
 फर्दवचन पूर्वावधार दि. 28/05/24
 को अर्ज है।

28/05/24

परावली पं. १३३/ उभयपक्ष अधिवक्ता
 उपस्थित। अग्रिमोड से गारिमान अर्थात्
 से नावक रामचंद्र अनुपस्थित है। पर
 एतदपेक्षित कार्यवाही अमल में लगी जाती
 है। उपस्थित विद्यमान अधिवक्तागके से मुना
 जका परावली का अवलोकन विना गणना
 प्रकाश प्रथम उपा. सुविधा व मन्तुलन ,
 अग्रणीय परि प्राप्ति के पक्ष में प्रतीत
 नहीं होती है। अतः उक्त अर्ज में प्राप्ति
 का प्रथम अग्रणीय निष्कर्षण खातिब
 विना जाना है। अर्जि मुनाया अ. 1/ परावली

गारिमान
Ramchandra
 28/05/24

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

कम बनाम लालचंद

प्रकरण संख्या :- 80/2024

7-2

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
क्रम संख्या		<p>कैमल गुप्ता द्वारा 30 नवंबर 2024 को</p> <p>30/11/24</p> <p>उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p>